

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
विधि साहित्य प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान,
भगवान दास रोड़,
नई दिल्ली-110001,
तारीख: 30 मार्च, 2021.

कार्यालय आदेश

विषय: विधि के क्षेत्र में हिन्दी में वर्ष 2020 के दौरान मूल रूप से हिन्दी में लिखित/प्रकाशित विधि (कानून) की उत्कृष्ट पुस्तकों पर पुरस्कार के लिए आमंत्रण ।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रत्येक वर्ष विधि की मूल रूप से हिन्दी भाषा में लिखी गई या प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकों पर (मैनुअल और रैफ्रेंसर को छोड़कर) पुरस्कार दिए जाते हैं । सरकार, प्रत्येक कलेंडर वर्ष में अनुसूची में उल्लिखित पांच ग्रुपों में से प्रत्येक ग्रुप में सामान्यतः एक प्रथम पुरस्कार, एक द्वितीय पुरस्कार, एक तृतीय पुरस्कार दे सकेगी । प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए) का, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपए (तीस हजार रुपए) का, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपए (बीस हजार रुपए) का होगा । मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रत्येक ग्रुप में किसी भी प्रवर्ग के एक से अधिक पुरस्कार दिए जा सकते हैं किंतु उस ग्रुप में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल रकम 1,00,000 रुपए (एक लाख रुपए) से अधिक नहीं होगी :

परन्तु वे पुस्तकें पुरस्कार पाने की पात्र नहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सहायता पाने वाले किसी संस्थान या संगठन द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के अधीन या किए गए करार के अनुसरण में लिखी गई/प्रकाशित की गई हैं ।

स्पष्टीकरण -- अनुसूची में दिए गए विषयों का पांच ग्रुपों में विभाजन दृष्टांत स्वरूप है, निःशेष कार्य नहीं है । मूल्यांकन समिति द्वारा किसी पुस्तक के बारे में किया गया वर्गीकरण कि वह किस विशिष्ट ग्रुप में आती है, अंतिम और निश्चायक होगा । अनुसूची में दिए गए पांच ग्रुप इस प्रकार हैं -

- i विधि-शास्त्र, तुलनात्मक विधि, विधिक इतिहास, सांविधानिक इतिहास, सांविधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, निर्वाचन विधि, विधायी प्रारूपण, कानूनों का निर्वचन और संसदीय प्रक्रिया ।
- ii दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, अपराध-विज्ञान, साक्ष्य, सामाजिक-आर्थिक अपराध, सिविल अधिकारों का संरक्षण ।

- iii सिविल प्रक्रिया, परिसीमा, विनिर्दिष्ट अनुतोष, विधिक उपचार, न्यायालय फीस, वाद मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण, अपकृत्य विधि, स्वीय विधि और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम।
- iv वाणिज्यिक विधि, औद्योगिक और श्रम विधि, बौद्धिक संपत्ति विधि, सहकारिता विधि और कराधान विधि ।
- v पर्यावरण विधि, सागर विधि, अन्तरराष्ट्रीय विधि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधि, अन्तरराष्ट्रीय संगठन और उक्त वर्गों में से किसी भी वर्ग में न आने वाली विधियां ।

पुरस्कार की स्कीम के सामान्य नियम इस प्रकार हैं -

- (i) यदि किसी पुस्तक को पुरस्कार दिया जा चुका है तो उसके पश्चात्पूर्वी संस्करण को सामान्यतः पुरस्कार के लिए पात्र नहीं समझा जाएगा । पहले नामंजूर की गई किसी पुस्तक पर इस पुरस्कार की स्कीम के अधीन फिर से विचार किया जा सकेगा, यदि इसके पश्चात्पूर्वी संस्करण में पुनरीक्षण किया गया है और लेखक ने अभिव्यक्त रूप से यह कहा है कि पुस्तक का पुनरीक्षण किया गया है और उसका यह दावा पूर्वतर संस्करण से तुलना करने पर सिद्ध हो जाता है ।
- (ii) यदि कोई लेखक या सहलेखक एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार का हकदार होता है तो वह केवल एक ही पुरस्कार, जो अधिकतम राशि का होगा, पाने का पात्र होगा । यदि किसी पुस्तक का लेखन एक से अधिक लेखक द्वारा किया गया है तो पुरस्कार राशि का संदाय सभी लेखकों को यथानुपात किया जाएगा ।
- (iii) कोई लेखक जब अपनी पुस्तक पुरस्कार हेतु भेजता है तो उस पर उसका प्रतिलिप्यधिकार समाप्त नहीं होगा ।
- (iv) भारत सरकार अपने आप भी किसी पुस्तक या पाण्डुलिपि को पुरस्कार हेतु विचार करने के लिए शामिल कर सकती है ।
- (v) किसी पुस्तक के अनुवाद पर पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।
- (vi) पुस्तकें या पाण्डुलिपियां, विधि साहित्य प्रकाशन को निर्धारित तारीख तक विहित प्ररूप में भेजी जानी चाहिए । निर्धारित तारीख के बाद भेजी गई पुस्तकों या पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (vii) पुरस्कार, पुस्तक की गुणवत्ता (क्वालिटी), विषय-वस्तु और साहित्यिक श्रेष्ठता के आधार पर दिए जाएंगे । पुस्तकों के लेखक अपनी पुस्तकों में साधारणतया, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठों में प्रयुक्त हिन्दी विधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे । राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली में दिए गए विधिक शब्दों का प्रयोग पुस्तक में तदरूप या समरूप पदों के लिए किया जाना होगा । जहां अधिनियमितियों के पाठ उद्धृत किए जाने हों वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों में प्रयुक्त शब्दों का यथावत् प्रयोग किया जाना चाहिए ।

- (viii) जहां तक सम्भव हो निर्णयों के उद्धरण विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित “उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका”, “उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका” तथा “उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका” से लिए जाएंगे। निर्णयों के प्रति निर्देश भी इन्हीं पत्रिकाओं से होंगे।
- (ix) यदि कोई अप्रकाशित कृति पुरस्कार के लिए चुनी जाती है तो पुरस्कार की रकम तभी दी जाएगी जब लेखक उक्त पुस्तक को केन्द्रीय सरकार या किसी ऐसे संस्थान या संगठन से, जिसे पूर्वोक्त सरकारों में से किसी से सहायता मिलती है, सहायता लिए बिना प्रकाशित कर देता है।
- (x) पुस्तकों या पाण्डुलिपियों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त निर्णायक पैनल/मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।
- (xi) पुरस्कार प्रदान किए जाने संबंधी स्कीम में विधि और न्याय मंत्रालय के कर्मचारी भाग लेने और उसके अधीन दिए जाने वाले किसी पुरस्कार के लिए उनके द्वारा लिखित पुस्तकें/पाण्डुलिपियां प्रस्तुत करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (xi) भारत के सभी नागरिक इस स्कीम में भाग लेने के पात्र हैं।

वर्ष 2020 के लिए हिन्दी भाषा में लिखी गई (अनुदित नहीं) विधि पुस्तकों की पाण्डुलिपियां या प्रकाशित पुस्तकें (जिनमें वाद-सूची, ग्रंथ सूची आदि हों) आमंत्रित की जाती हैं। प्रकाशित पुस्तकों की दशा में छह प्रतियां तथा पाण्डुलिपि की दशा में तीन टंकित प्रतियां विहित प्रवेश पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विज्ञप्ति के अपलोड किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर या 30 जून, 2021 तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। विहित प्रवेश पत्र को वेबसाइट www.lawmin.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। विहित प्रवेश पत्र कार्यालय आदेश के साथ भी संलग्न है। वर्ष 2020 में हिन्दी भाषा में लिखी गई विधि पुस्तकों की पाण्डुलिपियां या प्रकाशित पुस्तकें निम्नलिखित पते पर भेजें तथा अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए टेलीफोन नं० व फैक्स पर संपर्क करें -

प्रधान संपादक/संपादक (पुस्तक एकक),
विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग),
विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड, नई दिल्ली 110001
टेलीफोन नं. 011- 23387589, 23389001
फैक्स 011- 23387589



(डा० मिथिलेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रधान संपादक

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
विधि साहित्य प्रकाशन

फोन - 011-23387589
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगतान दारा रोड,
नई दिल्ली-110001

प्रारूप

कलेंडर वर्ष,में हिन्दी भाषा में लिखी गई/प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों पर पुरस्कार प्रदान किए जाने की योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए प्रवेश पत्र ।

प्रवेश पत्र निर्धारित अंतिम तारीख..... तक पुस्तक की प्रतियों के साथ भेजना अनिवार्य है प्रत्येक प्रविष्टि के लिए अलग-अलग पत्र भरा जाना चाहिए । यदि पुस्तक प्रकाशित है तो उसकी छह प्रतियां और यदि पुस्तक पांडुलिपि के रूप में है तो उसकी तीन प्रतियां भेजी जानी चाहिए । पांडुलिपि/पुस्तक की प्रतियां आवेदनकर्ता को अपने खर्च पर भेजनी होगी, जिन्हें किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किए गए पत्र-व्यवहार का कोई उत्तर भी नहीं दिया जाएगा ।

1. पुस्तक का शीर्षक : _____
2. विषय : _____
3. लेखक का नाम और पूरा पता : _____
(टेलीफोन नं. सहित) _____
4. प्रकाशक का नाम और पूरा पता : _____
(टेलीफोन नं. सहित) _____
5. पुस्तक का मूल्य (यदि प्रकाशित है) : _____
6. प्रकाशन वर्ष : _____
7. यदि अप्रकाशित है तो किस वर्ष में लिखी गई : _____
8. क्या यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सहायता पाने वाले किसी संस्थान या संगठन द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम के अधीन या उसके साथ किए गए करार के अनुसरण में लिखी गई/प्रकाशित की गई है : _____
9. संस्करण - प्रथम/द्वितीय/संशोधित/परिवर्धित : _____
10. क्या इससे पूर्व भी किसी वर्ष की प्रतियोगिता में : _____
(क) यह पुस्तक या इसका कोई अन्य संस्करण प्रविष्टि किया गया था ? _____
(ख) यदि हां, तो किस वर्ष में : _____

(ग) पूर्व संस्करण की पृष्ठ संख्या :

(घ) क्या पुरस्कार मिला :

(कृपया पूर्व संस्करण की एक प्रति साथ भेजें)

11. क्या, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठों में प्रयुक्त शब्दों और अंशों को यथावत उद्धृत किया गया है तथा उनमें प्रयुक्त हिन्दी विधि शब्दों का प्रयोग किया गया है ?

12. क्या राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "विधि शब्दावली" में दिए गए विधिक शब्दों का प्रयोग पुस्तक में तदरूप या समरूप पदों के लिए किया गया है ?

13. क्या निर्णयों के उद्धरण यथासंभव विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 'उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका', 'उच्च न्यायालय दंडिक निर्णय पत्रिका' और 'उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका' से लिए गए हैं तथा उनका निर्देश किया गया है ?

14. इससे पूर्व किस पुस्तक पर आपको इस विभाग द्वारा पुरस्कार दिया गया है पुस्तक का नाम, विषय, पुरस्कार का वर्ष और पुरस्कार की राशि ?

15. क्या पुस्तक -

(क) मूल रूप से लिखी गई है

कि :

(ख) किसी अन्य भाषा की पुस्तक का अनुवाद है :

(ग) किसी अन्य पुस्तक का रूपान्तरण है यदि (ख) अथवा (ग) का उत्तर हां में हो तो पूर्ण विवरण दीजिए

16. पुस्तक का प्रतिलिप्यधिकार (कापी राइट) किसके पास है ?

17. निम्नलिखित विषय शाखाओं में से किस शाखा/वर्ग में आपकी पुस्तक आती है :-

1. विधि शास्त्र, तुलनात्मक विधि, विधिक इतिहास, सांविधानिक इतिहास, सांविधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, निर्वाचन विधि, विधायी प्रारूपण, कानूनों का निर्वचन और संसदीय प्रक्रिया ।
2. दंड विधि, दंड प्रक्रिया, अपराध-विज्ञान, साक्ष्य, सामाजिक-आर्थिक अपराध, सिविल अधिकारों का संरक्षण ।
3. सिविल प्रक्रिया, परिसीमा, विनिर्दिष्ट अनुतोष, विधिक उपचार, न्यायालय फीस, वाद मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण, अपकृत्य विधि, स्वीय विधि और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ।
4. वाणिज्यिक विधि, औद्योगिक और श्रम विधि, बौद्धिक संपत्ति विधि, सहकारिता विधि और कराधान विधि ।
5. पर्यावरण विधि, सागर विधि, अन्तरराष्ट्रीय विधि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधि, अन्तरराष्ट्रीय संगठन और उक्त वर्गों में से किसी भी वर्ग में न आने वाली विधि ।

18. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि इस प्ररूप में दी गई सभी सूचना सत्य और सही है। इस पुरस्कार योजना में भारत सरकार का निर्णय हमें अंतिम रूप से मान्य होगा।

प्रकाशक के हस्ताक्षर

तारीख

प्रकाशक का नाम
और पता
.....
.....

लेखक के हस्ताक्षर

तारीख

लेखक का नाम
और पता
.....
.....

बैंक का नाम

बैंक का पता

खाता सं.

आई.एफ.एस.सी. कोड.....

एम.आई.सी.आर. कोड.....

पैन कार्ड नं.

आधार कार्ड नं.

मोबाईल नं.

(यदि एक से अधिक लेखक हैं तो सह लेखकों के हस्ताक्षर और निम्न सभी जानकारियां)

49

सह-लेखक के हस्ताक्षर

तारीख

सह-लेखक का नाम
और पता

बैंक का नाम

बैंक का पता

खाता सं.

आई.एफ.एस.सी. कोड.....

एम.आई.सी.आर. कोड.....

पैन कार्ड नं.

आधार कार्ड नं.

मोबाईल नं.